न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

कार्यालय के पत्र संख्या–618–25 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक:05–10–2021 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा
सं0–194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28–01–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–3–2019–931(न्यू0वे0)/6 दिनांक:
30–09–2014 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए
आगणन निर्गत किया गया था जिसके कालम–4 में टंकण में त्रुटि को संशोधित करते हुए संशोधित आगणन निगत किया जा रहा है।।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001–100)
माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 345 अंकों पर दिनांक: 1.10.2021
से दिनांक: 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त– रूपये–5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–345 पर
दिनांक 01–10–2021 से दिनांक: 31–3–2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(345–216) X 5750–रू0–.5757/–प्रतिमाह
216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत है:–

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक:1.10.2021 से 31.3.2022 तक	
			दिनांक:01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक:01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3328	3434	9184	353.23
2	अर्धकुशल	6325	3660	3777.29	10,102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11316.16	435.23

नियोजन के नाम:–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शॉपिग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाऐं भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यॉत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

41. लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्ठा उद्योग।
60. ताला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किया–कलाप सम्मिलित नही है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विकय संवर्धन(विकय संवर्धन(सेवा शर्तें)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कंटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(आर0पी0गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 630–37 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 8/10/2021

प्रतिलिपि:–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएें।
2. अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई–मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट **www.uplabour.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर0पी0गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।